भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3763

सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक)

असंगठित कामगारों के कल्याण हेतु योजनाएं

3763. श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में असंगठित कामगारों की कुल संख्या के संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) देश भर में असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए शुरू की गई और कार्यान्वित की गई केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की सूची का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान असंगठित कामगारों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को आधार से जुड़े असंगठित कामगारों (एनडीयूडब्ल्यू) का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ईश्रम पोर्टल (eshram.gov.in) की शुरुआत की। ईश्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और सहायता करना है। दिनांक 18.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य के 83,29,407 कामगारों सहित 30.71 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार ईश्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न है।

केंद्र सरकार द्वारा देश में असंगठित कामगारों सहित कामगारों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है। इन योजनाओं में शामिल हैं (i) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई), (ii) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), (iii) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), (iv) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम), (v) श्रमिक कल्याण योजना और बीड़ी/सिने तथा गैर-कोयला खदान कामगारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, (vi) कर्मचारी राज्य बीमा योजना, (vii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक के माध्यम से-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राष्ट्र-एक-राशन-कार्ड योजना, (viii) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, (ix) प्रधान मंत्री आवास योजना, (x) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, (xi) दीन दयाल अंत्योदय योजना, (xii) पीएमस्वनिधि, (xiii) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (xiv) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।

जारी..2/-

इनके अतिरिक्त, राज्य सरकारें भी कामगारों के कल्याण के लिए विशिष्ट योजनाएं चलाती हैं।

सरकार ने पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों के नामांकन को बढ़ाने/ सरल बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठक आयोजित करना।
ii. राज्य सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) प्रमुखों के साथ नियमित बैठक करना।
iii. जागरूकता पैदा करने के लिए एसएमएस अभियान।
iv. जागरूकता शिविरों का आयोजन, नामांकन की सुविधा प्रदान करना आदि।

* ****

अनुबंध

'असंगठित कामगारों के कल्याण हेतु योजनाएं' के संबंध में श्री पुट्टा महेश कुमार द्वारा दिनांक 24.03.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3763 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 18.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, राज्य-वार पंजीकरण का विवरण	
राज्य	कुल पंजीकरण
उत्तर प्रदेश	8,38,37,184
बिहार	2,98,13,811
पश्चिम बंगाल	2,64,43,654
मध्य प्रदेश	1,86,95,372
महाराष्ट्र	1,75,93,381
राजस्थान	1,46,08,175
ओडिशा	1,35,70,778
गुजरात	1,19,63,078
कर्नाटक	1,07,23,586
झारखंड	96,42,344
तमिलनाडु	90,97,655
छत्तीसगढ	85,54,010
आंध्र प्रदेश	83,29,407
असम	76,32,499
केरल	60,26,752
पंजाब	58,04,791
हरियाणा	53,76,239
तेलंगाना	44,87,322
जम्मू और कश्मीर	35,77,985
दिल्ली	35,28,383
उत्तराखंड	30,67,617
हिमाचल प्रदेश	19,90,186
त्रिपुरा	8,90,030
मणिपुर	4,56,116
मेघालय	3,32,472
नागालैंड	2,34,741
अरुणाचल प्रदेश	2,04,624
पुदुचेरी	1,91,201
चंडीगढ़	1,86,424
गोवा	77,802
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	74,818
मिजोरम	65,202
सिक्किम	42,957
लद्दाख	33,973
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	33,058
लक्षद्वीप	2,819
कुल	30,71,90,446

डेटा स्रोत: **https://eshram.gov.in//dashboard**

****